1776-1782
18-5-2022

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2022 वीं बैठक दिनांक 11.05.2022 का कार्यवाही विवरण :–

भवन मानचित्र समिति–(ले–आउट प्लान) की 05/2022 वीं बैठक दिनांक 11.05.2022 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में शाम 4:00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :–

1. सचिव, श्री किशोर कुमार, अजमेर विकास प्राधिकरण
2. उपायुक्त उत्तर, श्री अशोक चौधरी, अजमेर विकास प्राधिकरण
3. उपायुक्त दक्षिण, श्रीमति सुनीता यादव, अजमेर विकास प्राधिकरण
4. निदेशक आयोजना, श्री पी.आर. बेनीवाल, अजमेर विकास प्राधिकरण
5. सहायक नगर नियोजक, श्रीमती प्रियंका, अजमेर विकास प्राधिकरण

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावलियों से संबंधित 10 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया जो कि निम्न प्रकार से है –

एजेण्डा संख्या : 1

1.	आवेदक **का नाम व पता**	मैसर्स **कृष्णा महिमा होटल्स एण्ड एस्टेट एल.एल.पी. अजमेर।**
2.	राजस्व ग्राम	बोराज काजीपुरा
3.	खसरा संख्या	66, 67
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम बोराज काजीपुरा खसरा संख्या 66, 67 क्षेत्रफल 0.15 हैक्टेयर 90–क दिनांक 21.01.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90–क के अधीन स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–1) अनुसार आवेदित भूमि आवासीय व हरित क्षेत्र प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
7.	आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग	आवेदित भूमि को पूर्व में स्वीकृत ले–आउट से 12 मीटर (40 फीट) चौड़ा पहुँचमार्ग उपलब्ध होता है।
8.	क्षेत्रफल	प्रकरण में 90–क के आदेश 1500 वर्गमीटर (0.15 हैक्टेयर) हेतु जारी हैं। परन्तु आवेदक द्वारा अतिरिक्त क्षेत्रफल 137 व.मी. (कुल क्षेत्रफल 1637 व.मी.) का आवेदन प्रस्तुत किया है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 66 एवं 67 मैसर्स कृष्णा महिमा अजमेर टावर कचहरी रोड अजमेर जरिए भागीदार श्री कौशलेन्द्र बसंल पुत्र श्री शंकर बंसल के नाम दर्ज हैं। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड रिक्त है। आवेदित भूमि

F:\E\Deepak devnani\LP 2022-23\LP-05 AGENDA\LP AGENDA 05, 11-05-2022 (updated).doc

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		के पीछे की ओर भूखण्ड स्थित हैं।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	ग्राम बोराज का खसरा नम्बर 66, 67 जिसके वर्किंग (पुराने) खसरा संख्या 56, 57 हैं। प्राधिकरण की किसी योजना में अवाप्त नहीं हैं एवं अवाप्ताधीन भी नहीं हैं।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. प्रकरण में आवेदक द्वारा 90–क 1500 व.मी. (0.15 हैक्टेयर) के साथ–साथ आवेदक द्वारा दिये गये ले–आउट प्लान (एकल पट्टा) में अतिरिक्त क्षेत्रफल (बिला लगानी) 137 व.मी. आने से कुल क्षेत्रफल 1637 व.मी. (0.1637 हैक्टेयर) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। 2. प्रस्तावित भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड अनुसार चाही–2 है। प्रस्तावित भूमि के दक्षिण–पश्चिम में खसरा नं. 2 एवं 3 की भूमि स्थित हैं जो प्रस्तावित भूमि से लगता हुआ हैं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नं. 2 एवं 3 की किस्म गैर मुमकिन नाला हैं। 3. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 4. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 12 मीटर सड़क मध्य से 6 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 5. जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–1) अनुसार प्रस्तावित स्थल के आस–पास बांडी नदी से लगते हुए 70 फीट चौड़ा ग्रीन बफर हेतु आरक्षित है। 6. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में संबंधित उपायुक्त द्वारा अतिरिक्त भूमि (137 वर्ग मीटर) एवं पहुँचमार्ग से संबंधित सम्पूर्ण जाँच उपरान्त समस्त तथ्य समिति के समक्ष रखे जावे। साथ ही निदेशक आयोजना द्वारा दक्षिण—पश्चिम दिशा में स्थित खसरा संख्या 2 व 3 किस्म गैर मुमकिन नाला से प्रभावित होने वाले भू—भाग का नियमानुसार स्थल मानचित्र में प्रदर्शित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 2

1.	आवेदक का नाम व पता	**श्री दीपक पुत्र श्री लाला राम व श्री हीरा लाल पुत्र श्री सुवा लाल**
2.	राजस्व ग्राम	नारेली
3.	खसरा संख्या	3362, 3363, 3364, 3366, 3367, 3374
4.	90—क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम नारेली खसरा संख्या 3362, 3363, 3364, 3366, 3367, 3374 क्षेत्रफल 1.03 हैक्टेयर 90—क दिनांक 10.12.2021 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90—क के अधीन स्वीकृत भू—उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन—5) अनुसार आवेदित भूमि नगरीय क्षेत्र (U-2) प्रयोजनार्थ आरक्षित है जिसमें आवासीय प्रयोजन अनुज्ञेय है।
7.	सड़क मार्गाधिकार	आवेदित भूमि जोनल प्लान जोन—5 अनुसार प्रस्तावित 18 मीटर चौड़ी सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है।
8.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 10300 व.मी. में से 125.08 व.मी. भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 10175 व.मी. रहती है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू—अभिलेख शाखा द्वारा अंकित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार ग्राम नारेली के खसरा संख्या 3362, 3363, 3364, 3366, 3367, 3374 का आवेदित भूमि पर स्वामित्व आवेदकगणो का हैं। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90—क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने लगभग 40 फीट चौड़ी कच्ची सड़क विद्यमान हैं। जो कि एन. एच—8 से नारेली ग्राम जाने वाली सड़क को जोडती हैं।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
12.	भू—अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू—अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त व अवाप्ताधीन नहीं है।

प्रस्तावित योजना मानचित्र का विश्लेषण

विवरण	टाउनशिप पॉलिसी—2010 के अनुसार	प्रस्तावित योजना मानचित्र अनुसार
1. योजना का क्षेत्रफल	—2 हैक्टेयर से कम	10300 व.मी.

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	–2 हैक्टेयर से 10 हैक्टेयर तक –10 हैक्टेयर से अधिक	(1.03 हैक्टेयर)
2. क्षेत्रफल का वर्गीकरण	2 हैक्टेयर से कम 70%–आवासीय / व्यवसायिक 30% – खुला / पार्क / फैसिलिटि / सड़क आदि।	आवासीय–5675.92 व.मी. (55.78%) सामान्य व्यवसायिक–271.16 व.मी. (2.66%) इनफोर्मल व्यवसायिक–206.10 व.मी. (2.02%) पार्क / फेसिलिटि–1030.28 व.मी. (10.12%) सड़क–2991.51 व.मी. (29.4%)
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 18 मीटर सड़क मध्य से 9 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि (क्षेत्रफल 125.08 व.मी.), आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 2. योजना के भूखण्डो पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.3(77)UDH/3/2010 Part Jaipur Dated 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 / 5.10 के अनुसार 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक की योजनाओं में कम से कम 2 टेलीकॉम टॉवर हेतु जगह आरक्षित की जानी होगी। बेशर्ते आरक्षित जगह 10 व.मी. प्रति टॉवर से कम ना हो। 4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.18(36)UDH/NHAP/2014 Part Jaipur Dated 03.04.2017 के प्रावधान 1.2(3)अ के अनुसार निजी विकासकर्ता की प्लॉटेड आवासीय योजनाओ में विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि EWS एवं LIG भूखण्डो हेतु आरक्षित रखे जाने अनिवार्य होगें। परंतु योजना का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने पर विकासकर्ता द्वारा यदि EWS एवं LIG के भूखण्ड सर्जित नही किये जाते है तो, विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि प्रचलित आरक्षित दर एवं जहां आरक्षित दर निर्धारित ना हो वहां DLC दरों पर दी जा सकेगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान आवासीय प्रयोजनार्थ निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. **आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 18 मीटर सड़क मध्य से 9 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि (क्षेत्रफल 125.08 व.मी.) आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।**

2 **योजना के भूखण्डो पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।**

3. **राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक** F.3(77)UDH/3/2010 Part Jaipur Dated 10.08.2020 **के प्रावधान 7.02/5.10 के अनुसार 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक की योजनाओं में कम से कम 2 टेलीकॉम टॉवर हेतु जगह आरक्षित की जानी होगी। बेशर्ते आरक्षित जगह 10 व.मी. प्रति टॉवर से कम ना हो।**

4. **चूंकि योजना का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम हैं एवं विकासकर्ता द्वारा** EWS **एवं** LIG **के भूखण्ड सर्जित नही किये गये है अतः विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि प्रचलित आरक्षित दर एवं जहां आरक्षित दर निर्धारित ना हो वहां** DLC **दरों पर राशि ली जावे।**

एजेण्डा संख्या : 3

1.	आवेदक का नाम व पता	**श्री सुनील दत्त जैन पुत्र श्री मुस्सदी लाल जैन**
2.	राजस्व ग्राम	दौराई
3.	खसरा संख्या	3572/507 (नया), 3571/507
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम दौराई खसरा संख्या 3572/507 (नया) क्षेत्रफल 0.16 हैक्टेयर 90–क दिनांक 25.03.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90–क के अधीन स्वीकृत भू–उपयोग	औद्योगिक प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–10) अनुसार आवेदित भूमि थोक व्यापार प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
7.	आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग	भू–अभिलेख शाखा द्वारा अंकित आवेदित भूमि के क्रम में वर्तमान में उक्त खसरा को पहुंच मार्ग खसरा नम्बर 3571/507 में से होता है।
8.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 1600 व.मी. (0.16 हैक्टेयर) में से 428.82 व.मी. खसरा संख्या 3572/507 भूमि एवं पूर्व में 90–क के खसरा संख्या 3571/507 का कुछ भाग जो कि 791.92 व.मी. भूमि का आवेदन प्रस्तुत किया है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू–अभिलेख शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		3571/507 की पूर्व में ADA के आदेश क्रमांक 11/2013 दिनांक 04.03.2013 द्वारा 90A औद्योगिक प्रयोजनार्थ संगीता जैन पत्नी सुनील दत्त के नाम हो रखी है। संगीता जैन पत्नी सुनील दत्त की मृत्यू उपरान्त वसीयतनामें अनुसार खसरा नम्बर 3571/507, 505, 506 वर्तमान में सुनील दत्त को प्राप्त हुए हैं। अतः आवेदित खसरा नम्बर 3572/507 व पूर्व में औद्योगिक प्रयोजनार्थ 90A खसरा नम्बर 3571/507, दोनो खसरा नम्बर आवेदक के ही हैं। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा औद्योगिक विस्तार के लिए खसरा नं. 3572/507 क्षेत्रफल 1600 व.मी. के लिए औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन किया गया हैं। प्रार्थी को खसरा नं. 3571/507 से ही पहुँच मार्ग उपलब्ध है, जो की मुख्य सड़क ब्यावर रोड़ से लगता हुआ है जिसकी चौड़ाई वर्तमान में 30 मी. हैं।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त व अवाप्ताधीन नहीं है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. प्रार्थी द्वारा 90–ए औद्योगिक प्रयोजनार्थ की गई हैं जिसमें खसरा संख्या 3571/507 का 90–ए औद्योगिक प्रयोजनार्थ पूर्व में दिनांक 04.03.2013 व वर्तमान में खसरा संख्या 3572/507 के 90–ए औद्योगिक प्रयोजनार्थ आदेश दिनांक 25.03.2022 को जारी हैं। परन्तु आवेदक द्वारा पैट्रोलपम्प हेतु दिनांक 13.12.2021 को आवेदन किया हैं। 2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट अनुसार खसरा संख्या 3572/507 को पहुँच मार्ग खसरा संख्या 3571/507 से होता हैं एवं प्रस्तुत आवेदन अनुसार भूमि दोनो खसरो में स्थित हैं। 3. प्रश्नगत भूखण्ड से लगभग 300 मी. दूरी पर अविप्रा की दौराई व्यवसायिक योजना में पैट्रोलपम्प हेतु अनुज्ञा जारी है। 4. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

F:\E\Deepak devnani\LP 2022-23\LP-05 AGENDA\LP AGENDA 05, 11-05-2022 (updated).doc

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

निर्णय :— समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निम्न बिन्दुवार अनुसार निर्णय लिया गया कि:—

1. प्रकरण में आवेदक द्वारा पैट्रोलपम्प हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं परन्तु आवेदित भूमि के 300 मीटर की दूरी पर अविप्रा द्वारा स्वीकृत पैट्रोलपम्प पूर्व में अनुज्ञेय किया जा चुका हैं।

2. प्रकरण में आवेदक द्वारा एल.ओ.आई प्रस्तुत नहीं की गई हैं।

3. 90—क आदेश अनुसार वर्तमान भू—उपयोग औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित हैं जिसमें पैट्रोलपम्प की स्वीकृति नहीं दी जा सकती हैं। नियमानुसार व्यवसायिक (पैट्रोलपम्प) भू—उपयोग परिवर्तन होने पर ही पैट्रोलपम्प अनुज्ञेय हैं।

अतः नियमानुसार आवेदित भूमि पर पैट्रोलपम्प के आवेदन को उक्त बिन्दुओ के आधार पर निरस्त किया जाता हैं।

औद्योगिक प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व समिति के समक्ष यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे कि जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि थोक व्यापार हेतु आरक्षित हैं तो क्या औद्योगिक प्रयोजनार्थ 90—क स्वीकृत किया जा सकता हैं? प्रकरण को सम्पूर्ण तथ्यो के साथ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 4

1.	आवेदक का नाम व पता	कृष्णा रिसोर्ट प्रेसिडेंट श्री कुमार सोनी पुत्र श्री चर्तुभुज सोनी
2.	राजस्व ग्राम	गनाहेड़ा पुष्कर
3.	खसरा संख्या	3182 / 81, 3185 / 84
4.	90—क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम गनाहेड़ा पुष्कर खसरा संख्या 3182 / 81, 3185 / 84 क्षेत्रफल 7300 वर्गमीटर (0.73 हैक्टेयर) की पर्यटन ईकाई प्रयोजनार्थ 90—क दिनांक 24.02.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90—क के अधीन स्वीकृत भू—उपयोग	मोटल (पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवेदित भूमि का भू—उपयोग परिधि नियंत्रण क्षेत्र हेतु आरक्षित है।
7.	आवेदित भूमि को पहुँचमार्ग	पुष्कर मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवेदित भूमि 36 मीटर (120 फीट) चौड़ी सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है।
8.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 6951.15 वर्गमीटर (मौके पर उपलब्ध) में से 503.46 वर्गमीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 6447.68 वर्गमीटर रहती है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू—अभिलेख शाखा अनुसार आवेदित खसरा संख्या 3182 / 81, 3185 / 84 आवेदक के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हैं व बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90—क

F:\E\Deepak devnani\LP 2022-23\LP-05 AGENDA\LP AGENDA 05, 11-05-2022 (updated).doc

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि के सामने पूर्व रास्ते की चौड़ाई मौका स्थिति अनुसार 10 मी. थी बाद में आवेदक द्वारा अपनी भूमि नवीन दीवार बना कर रास्ते की चौड़ाई को 10 मीटर से 14 मीटर कर दिया गया जिससे पूर्व में एवं वर्तमान रास्ते की चौड़ाई में अन्तर आया हैं। वर्तमान में रास्ते की चौड़ाई पुष्कर से पिसांगन मार्ग की तरफ क्रमशः लगभग 13 मी. व 14 मी. हैं। आवेदित भूमि के खसरा संख्या 3182/81, 3185/84 के दक्षिण दिशा में स्थित पहुँचमार्ग की चौड़ाई मौके पर 10 मीटर एवं राजस्व रिकॉर्ड में 12 मीटर तक हैं। उक्त भूमि के सामने 11 के.वी. की एच.टी. लाईन गुजर रही हैं।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णित हो चुका हैं जिसकी प्रति दिनांक 10.12.2021 को प्राप्त हुई हैं। वर्तमान में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हैं।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 36 मीटर सड़क मध्य से 18 मीटर (क्षेत्रफल 503.46 वर्गमीटर) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 2. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5000 वर्ग मीटर से 2 हैक्टेयर तक के क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि नगरीय निकाय को निशुल्क समर्पित की जानी होगी अथवा 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी। 4. भवन विनियम 2020 के प्रावधान 10.2.6 (ब) (iii) मोटल के भूखण्ड में भूखण्ड क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप हेतु आरक्षित करना होगा।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र मोटल प्रयोजनार्थ निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 36 मीटर सड़क मध्य से 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि (क्षेत्रफल 503.46 वर्गमीटर) आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा एवं मौके पर बनी दीवार जिसे राजस्व रास्ते की चौड़ाई कम प्राप्त होती हैं उसे हटवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
3. भवन विनियम 2020 के प्रावधान 10.2.6 (ब) (III) मोटल के भूखण्ड में भूखण्ड क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र मोटर रिपेयरिंग वर्कशॉप हेतु आरक्षित करना होगा।
4. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5000 वर्ग मीटर से 2 हैक्टेयर तक के क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि नगरीय निकाय को निशुल्क समर्पित की जानी होगी अथवा 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।
5. संबंधित उपायुक्त द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाये की प्रश्नगत भूखण्ड के उत्तर दिशा में राजस्व रास्ता स्थित है अथवा नहीं। राजस्व रास्ता होने की स्थिति में उक्त रास्ते का मार्गाधिकार 60 फीट निर्धारित किया जावे।
6. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 6447.68 वर्गमीटर होने से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
7. मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने 11 के.वी. की एच.टी. लाईन गुजर रही है अतः भवन विनियम के प्रावधान 13.1 के अनुसार विद्युत लाईन से भवन की सुरक्षात्मक दूरी के मापदण्ड की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 5

1.	आवेदक का नाम व पता	**नारायण शिक्षण संस्थान** निदेशक **श्री नवीन** चौरसिया पुत्र **श्री ओम प्रकाश** चौरसिया
2.	राजस्व ग्राम	माकडवाली
3.	खसरा संख्या	2030, 2031, 5261/2029, 5260/2029
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम माकडवाली खसरा संख्या 2030, 2031, 5261/2029, 5260/2029 क्षेत्रफल 11,300 वर्गमीटर 90–क दिनांक 21.01.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90–क के अधीन स्वीकृत भू–उपयोग	अन्य संस्थानिक प्रयोजनार्थ

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

6.	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–2) अनुसार आवेदित भूमि संस्थानिक व आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
7.	सड़क मार्गाधिकार	आवेदित भूमि जोनल प्लान जोन–2 अनुसार 24 मीटर चौड़ी सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है एवं आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 18 मीटर चौड़ी सड़क प्रस्तावित है।
8.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 11300 व.मी. में से 111.78 व.मी. भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 11188.21 व.मी. रहती है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू–अभिलेख शाखा अनुसार आवेदित खसरा संख्या 2030, 2031, 5261 / 2029, 5260 / 2029 आवेदक के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हैं व बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर बाउन्ड्रि वॉल का निर्माण किया हुआ हैं एवं लगभग 960 वर्गमीटर का निर्माण स्थित हैं। मौके पर कालेज भवन निर्मित तथा संचालित है। आवेदित भूमि के मध्य से 132 के.वी. एच.टी. लाईन गुजर रही है। आवेदित भूमि से लगते हुए 60 फीट की रोड़ स्थित हैं।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 24 मीटर सड़क मध्य से 12 मीटर (क्षेत्रफल 111.78 व.मी.) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित एवं आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में प्रस्तावित 18 मीटर चौड़ी सड़क रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 2. आवेदित भूमि के मध्य से 132 के.वी. एच.टी. लाईन गुजर रही है तथा जोनल प्लान अनुसार ROW 30 मीटर प्रस्तावित हैं। अतः सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	आदेश दिनांक 22.06.2017 के अनुसार संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में उस क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब–स्टेशन, ओवरहैड वाटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के लिए भूमि की आवश्यकता होगी तो सम्बन्धित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना द्वारा नियमानुसार 132 के.वी. एच.टी. लाईन के नीचे आ रही भूमि एवं सैटबैक में स्थित निर्माण के संबंध में सम्पूर्ण मौका जाँच कर प्रकरण को विचारार्थ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 6

1.	आवेदक का नाम व पता	**आलोकिक बिल्डहोम प्रा.लि. निदेशक श्रीमती अल्का सोनी पत्नी श्री राजेश कुमार सोनी**
2.	राजस्व ग्राम	बोराज काजीपुरा
3.	खसरा संख्या	1157, 1158
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम बोराज काजीपुरा खसरा संख्या 1157, 1158 क्षेत्रफल 6,300 वर्गमीटर (0.63 हैक्टेयर) 90–क दिनांक 22.02.2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90–क के अधीन स्वीकृत भू–उपयोग	होटल (पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर / जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–1) अनुसार आवेदित भूमि मिश्रित व आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
7.	सड़क मार्गाधिकार	आवेदित भूमि जोनल प्लान (जोन–1) अनुसार 36 मीटर चौड़ी सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है।
8.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 6300 व.मी. में से 471.54 व.मी भूमि सडक मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 5828.46 व.मी. रहती है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	राजस्व ग्राम बोराज काजीपुरा के खसरा संख्या 1157, 1158 कुल क्षेत्रफल 0.63 हैक्टेयर आवेदक आलोकिक बिल्डहोम प्रा.लि. निदेशक श्रीमती अल्का सोनी के नाम खातेदारी रूप में दर्ज हैं। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि मुख्य फॉयसागर रोड़ पर स्थित हैं। मौके पर चारदीवारी एवं एक पक्का कमरा निर्मित हैं व भूमि के पिछले भाग पर नीव का कार्य प्रगति पर हैं।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 36 मीटर सड़क मध्य से 18 मीटर (क्षेत्रफल 471.54 व.मी) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5000 वर्ग मीटर से 2 हैक्टेयर तक के क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि नगरीय निकाय को निशुल्क समर्पित की जानी होगी अथवा 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र होटल प्रयोजनार्थ निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. **आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 36 मीटर सड़क मध्य से 18 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि (क्षेत्रफल 471.54 व. मी) आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।**

2 **आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी** मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5000 वर्ग मीटर से 2 हैक्टेयर तक के क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि नगरीय निकाय को निशुल्क समर्पित की जानी होगी अथवा 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

4. आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 5828.46 वर्गमीटर होने से राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

एजेण्डा संख्या : 7

1.	आवेदक का नाम व पता	एडवेन्ट **रियल** एस्टेट्स **प्रा.लि. जरिए** निदेशक **श्री** भावुक **सहगल पुत्र श्री सर्वेश्वर पाल सहगल**
2.	राजस्व ग्राम	नौसर
3.	खसरा संख्या	580, 580/904, 581, 581/905, 585, 585/906, 586
4.	90—क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम नौसर खसरा संख्या 580, 580/904, 581, 581/905, 585, 585/906, 586 कुल क्षेत्रफल 3400 वर्गमीटर (0.34 हैक्टेयर) 90—क दिनांक 01.04. 2022 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90—क के अधीन स्वीकृत भू—उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन—1) अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
7.	सड़क मार्गाधिकार	आवेदित भूमि जोनल प्लान (जोन—1) अनुसार 48 मीटर चौड़ी सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है।
8.	क्षेत्रफल	आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र के अनुसार कुल क्षेत्रफल 3400 वर्गमीटर में से 535.50 वर्गमीटर भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 2864.50 वर्गमीटर रहती है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	आवेदित भूमि पर जमाबन्दी अनुसार स्वामित्व आवेदक का ही हैं। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90—क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि पर मुख्य सड़क से लगती हुई बाउन्ड्रि वॉल निर्मित हैं एवं शेष भूमि रिक्त हैं। आवागमन पुष्कर रोड़ से होता हैं।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
12.	भू—अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू—अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।
अन्य विचारणीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम—2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 48 मीटर सड़क मध्य से 24 मीटर (क्षेत्रफल 535. 50 वर्गमीटर) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरणों में 1000 से 5000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र आवासीय प्रयोजनार्थ निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 48 मीटर सड़क मध्य से 24 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि (क्षेत्रफल 535.50 वर्गमीटर) आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।

2 आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरणों में 1000 से 5000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 8

1.	आवेदक का नाम व पता	**श्री जगदीश चन्द्र बैरवा पुत्र श्री ईश्वरी लाल**
2.	राजस्व ग्राम	माकडवाली
3.	खसरा संख्या	1201, 1202
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	राजस्व ग्राम माकडवाली खसरा संख्या 1201 एवं 1202 क्षेत्रफल 0.8 हैक्टेयर 90–क दिनांक 10.03.2021 को प्राधिकृत अधिकारी अविप्रा द्वारा जारी है।
5.	90–क के अधीन स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–4) अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।
7.	सड़क मार्गाधिकार	आवेदित भूमि जोनल प्लान (जोन–4) अनुसार 60 मीटर चौड़े सड़क मार्गाधिकार पर स्थित है।
8.	क्षेत्रफल	8000 वर्ग मीटर (0.8 हैक्टेयर) आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान के अनुसार कुल क्षेत्रफल 7241.09 व.मी. में से 627.70 व.मी. भूमि

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् 6613.39 व.मी. भूमि शेष रहती है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	भू–अभिलेख शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा संख्या 1201 एवं 1202 रकबा 0.8 हैक्टेयर जगदीश चन्द्र बैरवा पुत्र श्री ईश्वरी लाल जाति बैरवा के नाम अंकित हैं। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	मौके पर भूमि के नाप आवेदक द्वारा प्रस्तुत सर्वे प्लान अनुसार है। मौके पर भूमि की समस्त भूजाओं पर चार दीवारी निर्मित है।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि के खसरा नम्बर 1202 पर माननीय उच्च न्यायालय में सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 18316/2018 विशाल सागर एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद लम्बित है। जिसमें कोई स्थगन आदेश नहीं है।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि प्राधिकरण की किसी योजना में आवाप्त एवं आवाप्ताधीन नही है।

प्रस्तावित योजना मानचित्र का विशलेषण

विवरण	टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार	प्रस्तावित योजना मानचित्र अनुसार
1. योजना का क्षेत्रफल	–2 हैक्टेयर से कम –2 हैक्टेयर से 10 हैक्टेयर तक –10 हैक्टेयर से अधिक	7241.09 व.मी. (राजस्व रिकार्ड अनुसार 0.8 हैक्टेयर)
2. क्षेत्रफल का वर्गीकरण	2 हैक्टेयर से कम 70%–आवासीय/व्यवसायिक 30% – खुला/ पार्क/ फैसिलिटि/सड़क आदि।	आवासीय–4261.69 व.मी. (58.86%) व्यवसायिक–270.66 व.मी. (03.73%) सड़क–2708.74 व.मी. (37.41%)

अन्य विचारनीय बिन्दु	1. उक्त प्रस्तावित योजना पूर्व में मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 के प्रावधान 3–सी के तहत प्रस्तुत की गयी थी जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की बैठक दिनांक 02.11.2021 को किया गया जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 के प्रावधान 3–सी के स्थान पर टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत स्वीकृति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 60 मीटर सड़क मध्य से 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 3. योजना के भूखण्डो पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति ली जानी आवश्यक होगी। 4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.3(77)UDH/3/2010 Part Jaipur Dated 10.08.2020 के प्रावधान 7.02/5.10 के अनुसार 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक की योजनाओं में कम से कम 2 टेलीकॉम टॉवर हेतु जगह आरक्षित की जानी होगी। बेशर्ते आरक्षित जगह 10 व.मी. प्रति टॉवर से कम ना हो। 5. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.18(36)UDH/NHAP/2014 Part Jaipur Dated 03.04.2017 के प्रावधान 1.2(3)अ के अनुसार निजी विकासकर्ता की प्लॉटेड आवासीय योजनाओ में विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि EWS एवं LIG भूखण्डो हेतु आरक्षित रखे जाने अनिवार्य होगें। परंतु योजना का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने पर विकासकर्ता द्वारा यदि EWS एवं LIG के भूखण्ड सर्जित नही किये जाते है तो, विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि प्रचलित आरक्षित दर एवं जहां आरक्षित दर निर्धारित ना हो वहां DLC दरों पर दी जा सकेगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान आवासीय प्रयोजनार्थ निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गयाः–

1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 60 मीटर सड़क मध्य से 30 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि (क्षेत्रफल 627.70 व. मी.) आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।

2. योजना के भूखण्डो पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.3(77)UDH/3/2010 Part Jaipur Dated 10.08.2020 के प्रावधान 7.02/5.10 के अनुसार 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक की योजनाओं में कम से कम 2 टेलीकॉम टॉवर हेतु जगह आरक्षित की जानी होगी। बेशर्ते आरक्षित जगह 10 व.मी. प्रति टॉवर से कम ना हो।

4. चूंकि योजना का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम हैं एवं विकासकर्ता द्वारा EWS एवं LIG के भूखण्ड सर्जित नही किये गये है अतः विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि प्रचलित आरक्षित दर एवं जहां आरक्षित दर निर्धारित ना हो वहां DLC दरों पर राशि ली जावे।

5. प्रस्तावित योजना पूर्व में मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 के प्रावधान 3–सी के तहत प्रस्तुत की गयी थी जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की बैठक दिनांक 02.11.2021 को किया गया जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। अतः राज्य सरकार द्वारा प्रावधान 3–सी के तहत उक्त प्रकरण के निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के पश्चात् ही टाउनशिप पोलिसी के तहत योजना मानचित्र अनुमोदन कर जारी किया जाएगा।

एजेण्डा संख्या : 9

1.	आवेदक का नाम व पता	**गऊ माता हाउसिंग प्रा.लि. जरिए निदेशक श्री राजीव शर्मा पुत्र श्री प्रभाकर शर्मा एवं श्री दिनेश कुमार गढ़वाल पुत्र श्री रामस्वरूप गढ़वाल।**
2.	राजस्व ग्राम	गगवाना एवं घूघरा
3.	खसरा संख्या	गगवाना (3343/2258, 3345/2259, 2257, 2264, 2265, 2266) घूघरा (3173, 4636/1060)
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	प्रश्नगत भूमि के कूल क्षेत्रफल 4.0325 हैक्टेयर हेतु आवासीय प्रयोजनार्थ 90–क आदेश क्रमांक 100234 दिनांक 29.04.2021 जारी है।
5.	90–क के अधीन स्वीकृत भू–उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–5) अनुसार भूमि का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ निर्धारित है।
7.	सड़क मार्गाधिकार	प्रश्नगत भूमि हेतु पहुंचमार्ग की चौड़ाई 80 फिट निर्धारित है व भूमि मध्य से 80 फिट चौड़ी सडक प्रस्तावित है।
8.	क्षेत्रफल	प्रस्तुत ले–आउट प्लान के अनुसार आवेदित भूमि का कूल योग्य क्षेत्रफल 40325.00 वर्ग मीटर है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	राजस्व ग्राम घूघरा के खसरा संख्या 3173 श्री दिनेश गढ़वाल पूत्र रास्वरूप गढ़वाल एवं खसरा संख्या 4636/1060 गऊमाता हाऊसिंग प्रा.लि. जरिए निदेशक राजीव शर्मा पुत्र श्री प्रभाकर शर्मा के नाम खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज है। राजस्व ग्राम गगवाना के खसरा संख्या 2257, 2264, 2265, 2266 जमाबंदी अनूसार गऊमाता हाऊसिंग के नाम व खसरा संख्या 3343/2258, 3345/2259 राजीव शर्मा पुत्र श्री प्रभाकर शर्मा के नाम खातेदारी दर्ज है। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

		दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	मौके पर भूमि का डिमार्केशन आंशिक भाग में चार दिवारी होकर एवं आंशिक भाग में फेन्सिग द्वारा किया हुआ है। आंतरिक क्षेत्र में कच्ची सड़क बनी हुई है व समस्त माप प्रस्तुत सर्वे प्लान अनुसार है।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार कोई वाद लंबित नहीं है।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	प्रश्नगत भूमि प्राधिकरण की किसी योजना में अवाप्तशुदा भूमि नहीं है।

प्रस्तावित योजना मानचित्र का विशलेषण

विवरण	टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार	प्रस्तावित योजना मानचित्र अनुसार
1. योजना का क्षेत्रफल	–2 हैक्टेयर से कम –2 हैक्टेयर से 10 हैक्टेयर तक –10 हैक्टेयर से अधिक	40325.00 व.मी. सेक्टर रोड़ हेतु समर्पित भूमि का क्षेत्रफल 3574.43 व.मी. है जो कि योजना के कुल क्षेत्रफल का 8.86 प्रतिशत होता है। योजना हेतु शेष भूमि 36750.57 व. मी.
2. क्षेत्रफल का वर्गीकरण	2 हैक्टेयर से 10 हैक्टेयर तक 60%–आवासीय / व्यवसायिक नोटः– कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10% क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु 40%– खुला, पार्क, फैसिलिटि, सड़क आदि।	आवासीय–19608.6 व.मी. (48.63%) जिसमें से 790.68 व.मी. (विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 3.59%) केवल EWS हेतु प्रस्तावित। सामान्य व्यवसायिक–1619.03 व.मी. (4.01%) इनफोर्मल व्यवसायिक–740.08 व. मी. (1.84%) पार्क / फेसिलिटि–1927.74 व.मी. (4.78%) –पार्क सड़क–12855.11 व.मी. (31.88%)
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. उक्त प्रस्तावित योजना पूर्व में मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 के प्रावधान 3–सी के तहत प्रस्तुत की गयी थी जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की बैठक दिनांक 06.10.2021 को किया गया जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 के प्रावधान 3–सी के स्थान पर टॉउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत स्वीकृति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है। 2. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	24 मीटर सड़क मध्य से 12 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 3. योजना के भूखण्डो पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पूर्व सक्षम स्तर से निर्माण स्वीकृति ली जानी आवश्यक होगी। 4. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.3(77)UDH/3/2010 Part Jaipur Dated 10.08.2020 के प्रावधान 7.02 / 5.10 के अनुसार 1 हैक्टेयर से 5 हैक्टेयर तक की योजनाओं में कम से कम 2 टेलीकॉम टॉवर हेतु जगह आरक्षित की जानी होगी। बेशर्ते आरक्षित जगह 10 व.मी. प्रति टॉवर से कम ना हो। 5. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 3(77)नविवि / 3 / 2010 पार्ट 4 जयपुर दिनांक 29. 09.2021 के प्रावधान 6.3 के अनुसार निजी विकासकर्ता / निजी खातेदार द्वारा चाहे जाने पर ले-आउट प्लान के कुल क्षेत्रफल में सें सड़क के मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित कि जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल के समतुल्य भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्र में छुट प्रदान किये जाने का प्रावधान है। परंतु योजना में न्युनतम 05 प्रतिशत क्षेत्र ओपन एरिया / पार्क हेतु आरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा सड़क मार्गाधिकार में निःशुल्क समर्पित की गई भूमि का क्षेत्रफल 3574.43 व.मी. है जो की कुल योजना क्षेत्र का 8. 86 प्रतिशत होता है। टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानानुसार 02 से 10 हैक्टेयर की योजना में सुविधा क्षेत्र कुल योजना का 10 प्रतिशत रखा जाना अनिवार्य है। अतः सुविधा क्षेत्र में सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित भूमि के समतुल्य छुट दिये जाने के उपरांत योजना की 01.14 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी जानी होगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान आवासीय प्रयोजनार्थ में टाउनशिप पोलिसी के प्रावधान व कुल आवेदित क्षेत्रफल के आधार पर निम्नांकित अपेक्षित संशोधन के पश्चात् प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गयाः–

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

1. न्यूनतम 5% क्षेत्रफल पार्क हेतु आरक्षित रखा जाना होगा।
2. न्यूनतम 2% इनफोर्मल व्यवसायिक हेतु एवं अधिकतम 4% क्षेत्रफल सामान्य व्यवसायिक हेतु आरक्षित रखा जाना होगा।
3. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.18(36)UDH/NHAP/2014 Part Jaipur Dated 03.04.2017 के प्रावधान 1.2(3)अ के अनुसार कुल विक्रय योग्य क्षेत्रफल का 10% क्षेत्रफल EWS/LIG हेतु आरक्षित रखा जाना होगा।
4. सुविधा क्षेत्र में सड़क मार्गाधिकार हेतु निःशुल्क समर्पित भूमि के समतुल्य छुट दिये जाने के उपरांत योजना की 01.14 प्रतिशत भूमि सुविधा क्षेत्र हेतु आरक्षित रखी जानी होगी।

एजेण्डा संख्या : 10

1.	आवेदक का नाम व पता	**श्री रूपेश पटवा पुत्र श्री अशोक पटवा निवासी पाल बिचला अजमेर**
2.	राजस्व ग्राम	गवारड़ी
3.	खसरा संख्या	588, 589, 590
4.	90–क के अधीन अनुज्ञा	प्रश्नगत भूमि के कूल क्षेत्रफल 1.04 हैक्टेयर हेतु पर्यटन ईकाई प्रयोजनार्थ 90–क आदेश क्रमांक 100515 दिनांक 11.03.2022 जारी है।
5.	90–क के अधीन स्वीकृत भू–उपयोग	रिसोर्ट (पर्यटन ईकाई) प्रयोजनार्थ
6.	मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार टिप्पणी	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–5) अनुसार प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग नगरीयकरण योग्य क्षेत्र–2 (यु–2) निर्धारित है।
7.	सड़क मार्गाधिकार	जोनल डवलपमेंट प्लान (जोन–5) अनुसार भूमि के पहुंचमार्ग की चौड़ाई 60 फिट निर्धारित है।
8.	क्षेत्रफल	प्रस्तुत ले–आउट प्लान के अनुसार आवेदित भूमि का कूल योग्य क्षेत्रफल 10400.00 वर्ग मीटर है।
9.	स्वामित्व रिपोर्ट	आवेदित भूमि पर जमाबन्दी अनुसार स्वामित्व आवेदक का ही हैं। बिन्दु संख्या 4 के क्रम में 90–क प्राधिकरण के नाम दर्ज हैं।
10.	मौका रिपोर्ट	आवेदित भूमि में मौके पर वॉटर पार्क विकसित किया गया हैं। आवेदित भूमि एनएच–8 से गुवाड़ी जाने वाली रोड़ पर स्थित हैं।
11.	विधि शाखा की रिपोर्ट	विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर कोई वाद लम्बित नहीं है।
12.	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट	भू–अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित खसरा प्राधिकरण की किसी भी योजना में अवाप्त नहीं है नाही अवाप्तिधीन है।
अन्य विचारनीय बिन्दु		1. आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क मार्गाधिकार 18 मीटर सड़क मध्य से 9 मीटर सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

	एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा। 2. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम–2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी। 3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5000 वर्ग मीटर से 2 हैक्टेयर तक के क्षेत्रफल में 5 प्रतिशत सुविधा भूमि नगरीय निकाय को निशुल्क समर्पित की जानी होगी अथवा 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

निर्णय :– समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में खसरा संख्या 587 प्राधिकरण स्वामित्व की भूमि होने से आवेदित भूमि को पहूँचमार्ग प्राप्त होने की स्थिति स्पष्ट नहीं हैं। अतः संबंधित उपायुक्त को निर्देश दिये गये कि प्रकरण की सम्पूर्ण जाँच उपरान्त प्रकरण को विचारार्थ आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या : 11

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.18(36)UDH/NHAP/2014 Part Jaipur Dated 03.04.2017 के प्रावधान 1.2(3)अ के अनुसार "निजी विकासकर्ता की प्लॉटेड आवासीय योजनाओ में विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि EWS एवं LIG भूखण्डो हेतु आरक्षित रखे जाने अनिवार्य होगें। परंतु योजना का कुल क्षेत्रफल 2 हैक्टेयर से कम होने पर विकासकर्ता द्वारा यदि EWS एवं LIG के भूखण्ड सर्जित नही किये जाते है तो, विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भूमि के समतुल्य राशि प्रचलित आरक्षित दर एवं जहां आरक्षित दर निर्धारित ना हो वहां DLC दरों पर दी जा सकेगी" का प्रावधान हैं जो सहवन से पूर्व में स्वीकृत योजनाओं में लागू नहीं किया गया हैं जिनका विवरण निम्नानुसार हैं:–

1. ले–आउट प्लान की 09/2021 वीं बैठक दिनांक 02.11.2021 के प्रस्ताव संख्या 8: श्रीमती हंसलता पुत्री श्री हुकुम सिंह।
2. ले–आउट प्लान की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 04.02.2022 के प्रस्ताव संख्या 7: श्रीमती दीपान्जली चौहान पत्नी श्री सूर्यप्रताप सिंह चौहान।
3. ले–आउट प्लान की 01/2022 वीं बैठक दिनांक 04.02.2022 के प्रस्ताव संख्या 8: शालिमार बिल्डकोम प्रा.लि. जरिए निदेशक श्री वन्दित अग्रवाल पुत्र श्री राम प्रकाश अग्रवाल।
4. ले–आउट प्लान की 02/2022 वीं बैठक दिनांक 25.03.2022 के प्रस्ताव संख्या 1: श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री किशन लाल।

निदेशक आयोजना
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

अजमेर विकास प्राधिकरण,अजमेर

निदेशक आयोजना द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि उक्त 4 प्रकरणो के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण पूर्व में स्वीकृत नहीं किया गया हैं।

निर्णय :— समिति द्वारा विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से संबंधित उपायुक्त एवं निदेशक आयोजना को निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.18(36)UDH/NHAP/2014 Part Jaipur Dated 03.04.2017 के प्रावधान 1.2(3)अ के अनुसार उक्त प्रकरणो में लागू करने की सुनिश्चित्ता की जावे एवं इस बाबत् संशोधित आदेश जारी किया जावे एवं की गयी कार्यवाही से समिति को आगामी बैठक में अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

यह बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित है।

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

1776-1782 o/c

क्रमांक : अ.वि.प्रा. / प.3 / नि.शा / 2022 / ~~1770-1776~~ **दिनांक :** 18-5-2022

प्रतिलिपि :—

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव,. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर / दक्षिण / किशनगढ़ / पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर
o/c